फर्द अहकाम

धूलिया वगै० **बनाम** मूलचन्द वगै०

लय SDO शाहपुरा
8/2/2012

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8/2/12	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभावक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य वाद ..... हैं। यत आदेशानुसार दि. 11/2/12 को पेश हो। (शेखर)	
11.2.12	वकील उभय पक्ष व पत्रावली वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वादे मौजा पत्रावली दिनांक 19/2/12 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर	
19/2/12	पत्रावली पेश हुई प्रकरण में वकील अपीलार्थी ने अपने तर्क में जाहिर किया कि प्रस्तावित वादे हेतु भूमि गैर आवश्यक जाना उचित है। वकील अपीलार्थी ने इसका विरोध जाहिर करते हुए बयान किया कि प्रकरण के भूमि नगरपालिका के नाम दर्ज हो चुकी है अतः अपीलार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदन पत्र पेश करते समय प्रस्तावित भूमि रकबेदारी में महावीरमल के नाम दर्ज थी। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक 2296 दिनांक 30/1/20 के अनुसार भूमि 90A की कार्यवाही होकर नगरपालिका के नाम दर्ज हो चुकी है तथा ब.नं. 4650 से होता 4652 तक 18 फुट डामर सड़क भी बनी हुई है तथा इस भूमि में नगरपालिका शाहपुरा द्वारा पट्टा भी जारी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी में कृषि भूमि नहीं है तथा नगरपालिका के नाम दर्ज होने से यह भूमि सामाजिक कॉलोनी हो चुकी है तथा 251 (1) कृषि भूमि में ही लागू होती है। अतः अपीलार्थी का उक्त कन्वर्शन धारा 251 (1) RTA Act 1955 के तहत आवेदित भूमि नगरपालिका के नाम होने से खारिज किया जाता है। अपीलार्थी नगरपालिका में वाद हेतु पत्रावली करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल जमा होकर डाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर	